राष्ट्रीय सहारा, P-12, 14-4-16

ई-कृषि बाजार का आज से आगाज

▶ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन

■ नई दिल्ली।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय ई-कृषि बाजार बृहस्पतिवार से प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा रहा है और शुरू में इसमें उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों के किसान 21 थोक बिक्री बाजारों में 25 जिंसों की आनलाइन बिक्री कर सकेंगे। इससे उन्हें इस व्यापक मंच के माध्यम से अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है।

मार्च 2018 तक इसमें देश भर की कुल 585 थोक कृषि उत्पाद मंडियों को राष्ट्रीय ई-कृषि बाजार (एनएएम) से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके बाद केन्द्र सरकार कर सहित अन्य संबंधित मुद्दों को सुलझा लेने के बाद इसके जरिए कृषि जिंसों की अंतर-राज्यीय बिक्री की अनुमति दे देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बाबा भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली से इलेक्ट्रानिक प्रणाली के जरिए एनएमएम पोर्टल का उद्घाटन करेंगे।

इसके साथ-साथ आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की 21 थोक बिक्री मंडियों में ई-पोर्टल का उद्घाटन प्रदेश के गणमान्य व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। ■ भाषा

कृषि सुधार

- यूपी समेत आठ राज्यों के किसान 21 थोक मंडियों में आनलाइन बेच सकेंगे फसल
- अन्य राज्यों में गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, मप्र, हरियाणा, झारखंड और हिमाचल शामिल
- यूपी में सुल्तानपुर, लखीमपुर, ललितपुर, बहराइच, सहारनपुर और मथुरा में लागू होगी परियोजना
- इससे किसानों को मिलेगा उनकी उपज का बढ़िया मूल्य
- इस बाजार में अभी 25 जिंसों का हो सकेगा कारोबार
- फिलहाल प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा रह है ई-बाजार
- 2018 तक इस बाजार से जुड़ेंगी 585 थोक कृषि मंडियां

नभाटा P-16, 14-4-16

ऐग्रिकल्चर लैंड की लीज कानूनी बनाएगी सरकार

■ईटी, नई दिल्ली : बीजेपी की अगुआई वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने मॉडल ऐग्रिकल्चर लैंड लीजिंग ऐक्ट-2016 तैयार कर दिया है, जिसके तहत देश में कृषि भूमि लीज पर देना कानूनी हो जाएगा। सरकार को लगता है कि इससे खेती में दक्षता और समानता को बढ़ावा मिलेगा ही, गरीबी कम करने में भी मदद मिलेगी। राज्यों की ओर से इस मॉडल ऐक्ट को अपनाते ही मौजूदा सभी कानून खत्म हो जाएंगे। राज्यों द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही नया कानून लागू हो जाएगा।

पट्टेदारी पर मोदी सरकार ने बनाया मॉडल ऐक्ट

इस ऐक्ट के मुताबिक, जमीन का मालिक अब कानूनी तौर पर अपनी जमीन को पट्टे पर देने के लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जमीन मालिक और पट्टेदार के बीच तय समय में जमीन में खेती के साथ-साथ संबंधित काम करने को लेकर करार होगा। यह करार दोनों पक्षों की सहमति से तय नियम और शर्तों पर आधारित होगा। खेती और संबंधित कार्यों में फसल उगाने (खाद्यान्न और गैर-खाद्यान्न), चारा या घास उगाने, फल, फूल और सब्जियों की खेती करने, किसी भी तरह की बागवानी और पौधारोपण, पशुपालन और दूध उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, कृषि प्रसंस्करण और किसानों एवं किसान समूहों द्वारा अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी। पिछले साल नीति आयोग द्वारा गठित टी हक के नेतृत्व वाली समिति ने इस ऐक्ट को तैयार किया जिसे मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत देने वाला बताया जा रहा है। तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने लैंड लीजिंग को बैन कर दिया है। हालांकि, विधवा, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और सुरक्षाबलों के लोगों को इससे छूट मिली हुई है।

14/4/16

प्रभारी समाचार पत्र यूनिट लाइब्रेरी